# राजस्थान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के

# बढ़ते चरण -

शिक्षक शिक्षा विभाग - 4
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उदयपुर (राजस्थान)

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर

---

(शिक्षक शिक्षा विभाग - 4)

'राजस्थान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बढ़ते चरण-'

---

गुणात्मक विकास भारतीय शिक्षा की आधारभूत आवश्यकता रही है। इसकी पूर्ति के लिए शिक्षा के ~~लिए शिक्षा के~~ विभिन्न पक्षों में सुधार हेतु कई आयोगों, समितियों तथा शिक्षाविदों द्वारा समय-समय पर विचार किया गया और विभिन्न उपाय सुझाये गये । इन उपायों पर चिन्तन करते समय शिक्षक की भूमिका के महत्व को सभी ने स्वीकार किया। वास्तव में शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक ही तो शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया को क्रियान्वित कर उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। उपलब्ध भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग एवं शिक्षण प्रक्रिया की क्रियान्विति, शैक्षिक तंत्र का संचालन आदि शिक्षक/ शैक्षिक प्रशासक की क्षमताओं पर निर्भर करता है । अतः शिक्षक की क्षमता का विकास करना शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकता है ।

शिक्षक की भूमिका के सफल निर्वाह में उसके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षक समय के साथ साथ चले और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उभरे नये आयामों को समझ कर भावी पीढ़ी के निर्माण में अपना वांछित योगदान प्रदान करे, तो हमें न केवल उसकी सेवा पूर्व अपितु सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी । इसके साथ-साथ हमें शिक्षक शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार करना होगा।शिक्षक शिक्षा के इन उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिये शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में हमें सुधार लाना होगा । शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सफलता उसके मानवीय एवं भौतिक संसाधानों पर निर्भर करती है । अतः इन संस्थाओं के सफल कार्य संपादन के लिये न केवल पर्याप्त मात्रा में अपितु उच्च स्तरीय गुणात्मक मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ।

शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुये इन प्रश्नो का समाधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 द्वारा खोजने का प्रयास किया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति,86 में कहा गया है कि :-

NIEPA DC

अध्यापकों की शिक्षा-

D07838

---

9.4 अध्यापकों की शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता । पहले कदम के रूप में अध्यापकों की शिक्षा की प्रणाली को आमूल बदला जाएगा।

9.5 अध्यापकों की शिक्षा के नये कार्यक्रम में सतत् शिक्षा पर और इस शिक्षा-नीति की नई दिशाओं के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल होगा।

9.6 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किए जाएँगे जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इन संस्थाओं की स्थापना के साथ बहुत सी घटिया प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जायगा। कुछ चुने

- 544
371.146
RAO - R

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7838
Date 2-11-93

2. आयोजना , वित्त , जनजाति विकास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि
3. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
4. निदेशक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा
5. निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,एवं संदर्भ केन्द्र
6. (।) प्राथमिक शिक्षा/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा
   (।।)प्रौढ़ शिक्षा,
   के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ
7. एन.सी.ई.आर.टी. व नीपा के प्रतिनिधि
8. शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि
9. समन्वित वित्त डिविजन, मानव संसाधन मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का प्रतिनिधि

| क्रमांक | टास्क फोर्स कम्पोजिशन | मनोनीत अधिकारी | पद |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव से नीचे के स्तर के न हो । | विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक ,प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर अथवा प्रशिक्षण से संबंधित अधिकारी जो संयुक्त निदेशक स्तर के नीचे न हो । | निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,बीकानेर | सदस्य |
| 3. | राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर के प्रतिनिधि । | निदेशक,राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (स्ट्रेथनिंग ओफ एस.आई.ई.आर.टी.) | सदस्य-सचिव |
| 4, | राज्य शिक्षा विभाग, निदेशालय के प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी | मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय, प्रा.एवं मा. शिक्षा,बीकानेर | सदस्य |
| 5. | एन.सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधि जो फील्ड एडवाइजर अथवा रीडर स्तर से नीचे न हो । | फील्ड एडवाइजर,एन.सी.ई.आर.टी.,जयपुर | सदस्य |
| 6. | एक अथवा दो प्रशिक्षण संबंधित विशेषज्ञ जिन्हे राज्य सरकार मनोनीत करे । | 1. श्री जे. एन. पुरोहित प्राचार्य,राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,बीकानेर (स्ट्रेथनिंग आफ बी.एड.कालेज) | सदस्य सचिव |
| | | 2. श्री ललित किशोर लोहमी, से.नि.अतिरिक्त निदेशक | विशिष्ट आमंत्रित |
| | | 3. श्री एम.एम.अग्रवाल, निदेशक प्रोद्योगिक शिक्षा,जयपुर | सदस्य |
| | | 4. श्री चतर सिंह मेहता, निदेशक प्रौढ शिक्षा,जयपुर | सदस्य |
| | | 5. श्री सी.के.नागर, सयुक्त निदेशक,एस.आई.ई. आर.टी. उदयपुर । | सदस्य सचिव डी.आई.ई.टी.एस |
| | | 6. श्री सतीश कुमार बचलस प्रोफेसर,राजकीय शिक्षक महाविद्यालय,बीकानेर | सदस्य |
| 7. | राज्य स्तरीय अधिकारी जो शिक्षा विभाग के प्लानिंग कार्य से संबंधित । | 1. उप शासन सचिव (प्रथम)शिक्षा<br>2. विशेषाधिकारी,शिक्षा (स्कूल) | |
| 8. | आयोजना विभाग के प्रतिनिधि जो उपशासन सचिव स्तर से नीचे न हो । | उपशासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के अधिकारी जो जिले से संबंधित प्रस्तावों को तैयार करने में टास्क फोर्स के लिए सहायक हो । | संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य |

राजस्थान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना -

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये शिक्षक प्रशिक्षण की भावी योजना (प्रोस्पेटिव प्लान) के निर्धारित प्रारूप के अनुसार निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा तैयार की गई । इस योजना में 1987 के दौरान प्राथमिक विद्यालय,उच्च प्राथमिक विद्यालय इनमें कार्यरत अध्यापको की संख्या,शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या,इनमें प्रवेशार्थीयों के लिए निर्धारित संख्या,अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों एवं प्रोढ शिक्षा केन्द्रों की संख्या इनके लिये कार्यरत अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की संख्या आदि तथ्यों की विवेचना करते हुये और राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापको,अनौपचारिक शिक्षा/प्रौढ शिक्षा के लिए अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुये योजना बनाई गई इस योजना के तहत 1986-87 की स्थिति निम्न विवरण के अनुसार प्रस्तुत की गई -

| क्र.सं. | संस्थायें | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक विद्यालय | 28171 |
| 2. | उ.प्रा.विद्यालय | 8149 |
| 3. | प्रा.उ.प्रा.विद्यालयोंमें अध्यापक की संख्या | 62811+66444=129255 |
| 4. | प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या | 36 |
| 5. | प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश की क्षमता | 2770 |
| 6. | अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या | 10599 |
| 7. | अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की संख्या | 11166 |
| 8. | अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों की संख्या | 223 |
| 9. | प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की संख्या | 12632 |
| 10. | प्रौढ शिक्षा अनुदेशकों की संख्या | 14410 |
| 11. | प्रौढ शिक्षा पर्यवेक्षकों की संख्या | 461 |

तैयार की गई योजना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना(1989-90) के अंत तक शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित अनुमानित आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों का आकलन निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया गया-

| क्र.स. | संस्थायें | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक विद्यालय | 30196 |
| 2. | उ.प्रा.विद्यालय | 8627 |
| 3. | प्रा./उ.प्रा.विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या | 74208+ 70353=144661 |
| 4. | प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या 39 | 39 |
| 5. | प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश की क्षमता | 2630 |
| 6. | अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या | 10566 |
| 7. | अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की संख्या | 17100 |
| 8. | अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों की संख्या | 2137 |
| 9. | प्रौढ शिक्षा अनुदेशकों की संख्या | 15670 |
| 10. | पौढ शिक्षा अनुदेशकों की संख्या | 15610 |
| 11. | प्रोढ शिक्षा पर्यवेक्षकों की संख्या | 2137 |

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का वस्तु-स्थिति अध्ययन-

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का वस्तु-स्थिति अध्ययन-

भारत सरकार के द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक शिक्षक प्रशि विद्यालय ने निर्धारित प्रारूप में अपनी संस्थान से सम्बन्धी विवरण तैयार कर अपने जिला शिक्षा अधिकारी प्रमाणित करवाते हुए उनकी अनुषंशाओं के साथ प्रस्तुत किया ।

कार्यकारी दल के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित जिलों के सामने अंकित शिक्षक प्रशि विद्यालयों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में क्रमोन्नत करने के लिए निर्णय लिया गया:-

| क्र.स | जिले का नाम | शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1. | जयपुर | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,गोनेर(जयपुर) |
| 2. | भरतपुर | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,भरतपुर |
| 3. | अलवर | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,अलवर |
| 4. | अजमेर | राजकीय शि.प्र.वि.मसूदा(अजमेर)को ब्यावर |
| 5. | जोधपुर | राज.शिक्षक प्रशि.विद्यालय,कुचामनसिटी,नागोर |
| 6. | नागोर | राज.शिक्षक प्रशि.विद्यालय,कुचामनसिटी,नागोर |
| 7. | जैसलमेर | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, बाडमेर |
| 8. | बाडमेर | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,बाडमेर |
| 9. | पाली | राज. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,बगडीनगरपाली को सोजत |
| 10. | सिरोही | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय-आबूपर्वत(सिरोही) |
| 11. | चूरू | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,चूरू |
| 12. | बीकानेर | राज.शिक्षक,प्रशिक्षण विद्यालय,पूंगलमार्ग,बीकानेर |
| 13. | झूंझुनू | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय झूंझुनू |
| 14. | उदयपुर | राजकीय अभिनवन शिक्षक,प्रशिक्षण विद्यालय,-गोवर्द्धनविलास,उदयपुर |
| 15. | बांसवाडा | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,गढी,बांसवाडा |
| 16. | डूंगरपुर | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,डूंगरपुर |
| 17. | भीलवाडा | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,शाहपुरा(भीलवाडा) |
| 18. | कोटा | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,नांतामहल,कोटा |
| ~~19.~~ | ~~सज.शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय,टौंक~~ | |
| 19. | टौंक | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,टौंक |
| 20. | सवाई माधोपुर | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,करौली (सवाईमाधोपु |
| 21. | झालावाड | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,झालरपाटन(झालावा |
| 22. | बून्दी | राज.शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय(महिला)बून्दी |

चित्तौडगढ,जालोर,सीकर,जिलों में जहां एक भी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय नही चल रहे थे नये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया ।श्री गंगानगर जिले में यद्यपि क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय चल रहा था, इसके बावजूद भी राजकीय क्षेत्र में नये जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के तीन चरण

निम्नलिखित विवरण के अनुसार 1987-88एवं 1989-90 के तीनों चरणों में राज्य में शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई-

1987-88

| क्र.सं | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का स्थान | | जिला |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,जालोर-343001 | | जालोर |
| 2. | -'- | झालरापाटन-326023 | झालावाड |
| 3. | -'- | जैसलमेर-345001 | जैसलमेर |
| 4. | -'- | गोनेर(जयपूर) | जयपुर |
| 5. | -'- | माउंटआबू(सिरोही) | सिरोही |
| 6. | -'- | विद्याशाला,जोधपुर-342001 | जोधपूर |
| 7. | -'- | अलवर-301001 | अलवर |
| 8. | -'- | गोवर्द्धन विलास,उदयपुर-313001 | उदयपुर |
| 9. | -'- | चित्तौडगढ़-312001 | चित्तौडगढ़ |

1988-89

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,शाहपूरा-311404(भीलवाडा) | | भीलवाडा |
| 2. | -'- | पूंगलमार्ग(बीकानेर)334001 | बीकानेर |
| 3. | -'- | मसूदा(अजमेर)305623 | अजमेर |
| 4. | -'- | बगड़ीनगर(पाली)306114 | पाली |
| 5. | -'- | सीकर-332001 | सीकर |
| 6. | -'- | झूंझुनू-303042 | झुंझुनू |
| 7. | -'- | डूंगरपूर-314001 | डूंगरपुर |
| 8. | -'- | गढ़ी(बांसवाडा)-327022 | बांसवाडा |
| 9. | -'- | कूचामन सिटी(नागोर)341508 | नागौर |

1989 - 90

| क्र.सं. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम | | जिला |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,बाड़मेर | | बाड़मेर |
| 2. | -'- | नान्तामहल,कोटा | कोटा |
| 3. | -'- | टौंक-303401 | टौंक |
| 4. | -'- | करौली(सवाईमाधोपूर | सवाईमाधोपुर |
| 5. | -'- | चुरू-331001 | चुरू |
| 6. | -'- | बून्दी-323001 | बून्दी |
| 7. | -'- | धौलपुर-328001 | धौलपुर |
| 8. | -'- | चुनावड़(श्रीगंगानगर) | श्रीगंगानगर |
| 9. | -'- | भरतपुर | भरतपुर |

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का स्वरूप:-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की प्रायोजना निर्माण के पूर्व राजस्थान में यह निर्णय लिया कि अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ शिक्षा की जिला सन्दर्भ इकाई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सम्बद्ध समस्त गतिविधियों एक ही संस्था के तत्वधान में समन्वित प्रयासों द्वारा आयोजित की जा सके । प्रकार राज्य की सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी विभागों खोला गया ।

नोडल ऐजेन्सी:-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की सम्पूर्ण गतिविधियों को दिशा प्रदान करने एंव स्था स्थापित करने हेतु राज्य में इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई ।प्रशास एंव वित्तीय कार्य क्षेत्रों के लिए निदेशक,प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान को उत्तरदायित्व सौंपा गया अकादमिक कार्य क्षेत्र का उत्तरदायित्व राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर को स गया

प्रयोग क्षेत्र (लेब एरिया):-

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों के नवाचारों,प्रयोगों एवं प्रायोजनाओं की क्रियान्विति हेतु,प्र क्षेत्रों (लेब एरिया) का चयन किया गया । लेब एरिया के चयन के लिए संबंधित संस्थानों के प्रधानों एवं जि शिक्षा अधिकारियों को स्वतत्रंता दी गई एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार ही प्रयोग क्षेत्रों का च किया गया । यद्यपि इन प्रयोग क्षेत्रों का चयन प्रायोजना निर्माण के पूर्व ही कर लिया गया था एवं इस उल्लेख प्रस्तुत दस्तावेजों में कर दिया गया, परन्तु इसके बावजूद भी आयुक्त एवं सचिव,शिक्षा विभाग,राजस्थ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 14.6.92 में लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व में चयनित प्रयोग क्षे (लेब एरिया) में परिवर्तन करने तथा इसकी पुनः निर्धारण करने की अनुमति प्रदान की गई । राज्य के विभि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयोग क्षेत्रों का विवरण निम्न -अनुसार है:-

| क्र.सं. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम | प्रयोग - क्षेत्र(लेब ऐरिया) |
|---|---|---|
| 1. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,अलवर | पंचायत समिति,उमरेन |
| 2. | -'-,गोनेर, जयपुर | पंचायत समिति सांगानेर |
| 3. | -'-विद्याशाला,जोधपुर | पंचायत समिति मंडोर |
| 4. | -'-जैसलमेर | पंचायत समिति,जैसलमेर |
| 5. | -'-झालरापाटन(झालावाड़) | पंचायत समिति,झालरापाटन |
| 6. | -'-गोर्वद्धन विलास,उदयपुर | पंचायत समिति,बड़गांव का खेरवाड़ा |
| 7. | -'-चित्तौडगढ़ | पंचायत समिति,चित्तौडगढ़ |
| 8. | -'-माउंटआबू | पंचायत समिति आबूरोड(सिरोही) |
| 9. | -'-जालोर | पंचायत समिति,जालोर |
| 10. | -'-मसूदा(अजमेर) | पंचायत समिति,मसूदा |
| 11. | -'-पूंगलमार्ग,(बीकानेर) | पंचायत समिति,लूणकरणसर |
| 12. | -'-शाहपुरा(भीलवाडा) | पंचायत समिति,शाहपुरा |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,गढ़ी,बांसवाडा | पंचायत समिति,गढ़ी |
| 14. | -'-डूंगरपुर | पंचायत समिति,डूंगरपुर |
| 15. | -'-झुंझुनू | पंचायत समिति,नवलगढ़ |
| 16. | -'-कुचामनसिटी(नागौर) | पंचायत समिति,कुचामन सिटी |
| 17. | -'-सीकर | पंचायत समिति,पीपराली |
| 18. | -'-बगड़ीनगर(पाली) | पंचायत समिति,सोजत |
| 19. | -'-चुरू | पंचायत समिति,चुरू |
| 20. | -'-बाड़मेर | पंचायत समिति,बाड़मेर |
| 21. | -'-नान्तामहल,कोटा | पंचायत समिति,लाड़पुरा |
| 22. | -'-बून्दी | पंचायत समिति,तालेड़ा |
| 23. | -'-टौंक | पंचायत समिति,टौंक |
| 24. | -'-करोली(सवाईमाधोपुर) | पंचायत समिति करोली |
| 25. | -'-भरतपुर | पंचायत समिति कामा |
| 26. | -'-धौलपुर | पंचायत समिति धौलपुर |
| 27 | -'-श्रीगंगानगर | पंचायत समिति,गंगानगर |

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकास में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका

---

प्रयोजना निर्माण-

---

राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान की महत्वूपर्ण भूमिका रही है,डाइट की प्रायोजना निर्माण के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन इसी संस्थान के द्वारा दिया गया ।

डाइट भवन के मानदण्ड-

---

डाइट प्रायोजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व ही इस संस्थान द्वारा डाइट भवन के लिए अपेक्षित मानदण्डों का विकास किया गया एवं तदनुसार भवन निर्माण के लिए वित्तीय प्रस्ताव तैयार किये गये ।

उपकरणों की सूची

---

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य में नवस्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की विभिन्न प्रयोगशालाओं,शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग,कला शिक्षा,शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा,कार्यानुभव,पुस्तकालय,छात्रावास आदि के लिए अपेक्षित उपकरणो,उनके स्पेसिफिकेशन्स तथा अनुमानित लागत की सूचियां तैयार कर राज्य सरकार,निदेशालय, समस्त जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों को दिनांक ।।.3.88 को उपलब्ध कराई गयी ।

पुस्तकालय एवं वाचनालय के लिए ग्रन्थों एवं पत्रिकाओं की सूची-

---

राज्य की इन नव सृजित संस्थाओं के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों के लिए इस संस्थान द्वारा पुस्तकों की सूचियां तैयार कर दिनांक ।।.3.88 को सभी सम्बन्धित संस्थाओं को उपलब्ध करा दी गई । इन सूचियों को तैयार करते समय डाइट में स्थापित किये जाने वाले विभिन्न विभागों,शिक्षा के विभिन्न आयामों,विद्यालय में शिक्षण विषयों तथा सामान्य साहित्य की आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया । इसके साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को इस सूची के अतिरिक्त उनकी आवश्यकतानुसार अन्य पुस्तकों को भी राजकीय नियमानुसार क्रय करने की स्वायत्ता प्रदान की गई ।

अकादमिक स्टॉफ के चयन नियम एवं प्रकिया

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने डाइट के अकादमिक स्टॉफ के विशेष चयन नियम एवं प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर निदेशक,प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की है । इन नियमों का अनुमोदन राज्य सरकार के निकट भविष्य में प्राप्त होने की आशा है । अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन नियमों के अनुसार राज्य की समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अकादमिक स्टाफ का पर्स्थापन किया जायेगा । आशा है कि इन नियमों के लागू होने से इन संस्थाओं में गुणात्मक दृष्टि से वांछित स्टॉफ अपना कार्य सम्पादन कर सकेगा । इन नियमें के लागू होने तक विभाग द्वारा एक चयन समिति गठित की गई है । निदेशक,राजस्थान राज्य शैक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इसके अध्यक्ष है । इनके अतिरिक्त निदेशालय में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक,प्रा.एवं.माध्य.शिक्षा,संबंधित संडल स्तरीय शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित डाइट के प्रधानाचार्य इसके सदस्य मनोनीत किये गये है । इस समिति द्वारा डाइट के अकादमिक स्टॉफ को अस्थायी चयन कर उनके पदस्थापन हेतु विभाग को अनुशंषा की है एवं इनके अनुसार सभी संस्थाओं में पदस्थापन कर दिया गया है ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सलाहकार समितियों की स्थापना-

भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की प्रयोजना निर्माण हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 3.7.2 के अनुसार कार्यक्रम सलाहकार समितियों एंव बिन्दु क्रमांक 7.4 के अनुसार प्रबोधन हेतु प्रस्तावित समितियों का गठन प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्तर पर कर दिया गया है ।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों की समन्वय समिति:-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जिले की अकादमिक आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है । इन कार्यक्रमों में शिक्षा विभाग के समस्त जिला स्तर के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने तथा डाइट व इन जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु समन्वय समितियां गठित की गई है । इन समितियों की बैठक प्रतिमाह डाइट में आयोजित की जाती है । इन समितियों के गठन से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों को आवश्यकता आधारित (नीडबेस्ड) बनाने तथा इन कार्यक्रामों में इन सभी ~~अधिकारियों~~ का सहयोग प्राप्त करने से इस राज्य में डाइट के कार्यक्रमों के आयोजन में व्यापक सफलता प्राप्त हुई है ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की बैठकों का आयोजन-

राजस्थान राज्य शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में एवं सत्र की समाप्ति के पूर्व जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों की बैठकें आयोजित करता है । इन बैठकों में आगामी सत्र के कार्यक्रमों,कार्यपद्धतियों,उपलब्धियों तथा इन संस्थाओं की समस्याओं पर चर्चा होती है । इन बैठकों में राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते है । इसके अतिरिक्त समान्यतया दो या तीन माह के अन्तराल में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यो की बैठकें आयोजित की जाती है और इनमें सामयिक उपलब्धियों तथा विभिन्न संस्थाओं की समस्याओं एवं उनके निराकरण की चर्चा की जाती है । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की शैशवस्था की ध्यान में रखते हुए तथा इसकी सफलता के प्रति प्रतिबद्धता अनुभव करते हुए इन बैठकों में शिक्षा मंत्री,शिक्षा सचिव,निदेशक प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान भाग लेते रहे है ।इन बैठकों में एक दो बार भारत सरकार के प्रतिनिधि भी भाग ले चुके है ।

## जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु सामान्य निर्देश:-

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान नवसृजित संस्थायें है । अतः इनके कार्य संपादन के संबध में शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है । इस संबध में इन संस्थाओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समय समय पर निर्देश प्रदान किये जाते है एवं उनकी शंकाओं का समाधान किया जाता है । इन संस्थाओं के ~~सामान्य एंव गतिशील~~ संचालन हेतु विस्तृत निर्देश तैयार कर समय समय पर इस संस्थान के द्वारा प्रसारित किये जाते है ।

## शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों के साथ समन्वय

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एकाकी रूप से कार्य कर वांछित सफलता हासिल नहीं कर सकते ।इन संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य अभिकरणों के साथ तालमेल रखकर कार्य करने की आवश्यकता राजस्थान में अनुभव की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,राज्य प्रौढ शिक्षा संदर्भ इकाई,राज्य उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान,प्रौढ शिक्षा निदेशालय,शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान से समन्वय एवं सहयोग प्राप्त कर कार्य कर रहे है । राज्य में इस समय दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर एवं अजमेर तथा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय , जोधपुर के साथ मार्गदर्शनार्थ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबद्ध किये गये हैं ।

कुछ संस्थाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान के साथ भी संबद्ध रहेगी । इसके साथ यह भी स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये कि उपरोक्त निर्णय की क्रियान्विति के साथ साथ सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान से हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा ।

## वार्षिक पंचाग- निमार्ण एवं सामान्य निर्देश :-

यह संस्थान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के प्रति सदैव सचेष्ट रहा है और आशा यह की गई है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने स्तर पर ही पहल करके अपना वार्षिक पंचांग का निर्माण करेगा व तदुनसार कार्यक्रमों का आयोजन करेगा,परन्तु इस बात को अनुभव करते हुए कि यह एक नवीन प्रक्रिया है इसके लिए राज्य स्तर पर पहल करके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है । अतः संस्थान ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न प्रधानाचार्यो की बैठक आयोजित कर उनका एंवं संस्थान में कार्यरत अकादमिक स्टॉफ के सहयोग से डाइट के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की एक विस्तृत सूची तैयार की और तद्नुसार वार्षिक पंचांग का निर्माण किया गया है । यह पंचांग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यो के सहयोग से निर्मित कराया जाता हैं ।इसके बावजूद भी उन्हे इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वे इस प्रकार के प्रस्तावित राज्य स्तर पर निर्मित पंचांग को एक प्रस्तावित रूपरेखा के रूप में ही स्वीकार करें और आवश्यकता अनुभव करने पर अपने स्तर पर ही उसमें आवश्यक संशोधन करने की उन्हें अनुमति प्रदान की गई है ।अब तक के अनुभव में कई प्रधानाचार्यो ने अपने स्तर पर नये प्राकर के कार्यक्रमों की संरचना कर उन्हें क्रियान्वित किया है और इस अनुभव से अन्य डाइट को भी लाभान्ति किया है । राजस्थान की मान्यता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से निकट भविष्य में ही समस्त संस्थान पूर्ण रूप से अपने स्तर पर अपने वार्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनका आयोजन करने में सक्षम हो सकेंगे । वार्षिक पंचांग के साथ -साथ इसके संबंध में विस्तृत निर्देश दिया गया है एवं समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर इस संस्थान के द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को मार्गदर्शन किया जाता है ।

---------||

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B. Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016 D-7838
DOC. No ........ 2-11-93

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

इस संस्थान ने राज्य के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं इस संस्थान के विशेषज्ञों के सहयोग से विभिन्न विभागों द्वारा राज्य के कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की है । इन कार्यक्रमों के आयोजन के सबंध में एक विस्तृत रूपरेखा (आउट-लाइन्स) तैयार की गई और इसको एक लघु-पुस्तिका के रूप में तैयार कर सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वितरित की गई । इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार करने के फलस्वरूप राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अकादमिक स्टॉफ को इन कार्यक्रमों में अच्छी सफलता मिली है एवं इससे सुविधा प्राप्त हुई है । इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कार्यक्रमों के आयोजन के सबंध में जो विस्तृत रूपरेखा इन संस्थानों को उपलब्ध कराई गई थी उसकी अक्षरक्षः पालना करना आवश्यक नहीं है अपितु इसके लिए स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी आवश्कता एवं अनुभव के आधार पर परिवर्तन कर सकते है एवं इसमें सुधार कर सकते है ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयार की गई सूची इस प्रकार हैं ।

प्रभाग-कार्यानुभव (डब्ल्यू.ई.)

1. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए कार्यानुभव/स.उ.का.संबंधी अल्पकालीन अभिस्थापन कार्यक्रम ।
2. उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए कार्यानुभव /स.उ.का.सम्बन्धी अल्पकालीन अभिस्थापन कार्यक्रम ।

प्रभाग -शैक्षिक प्रौद्योगिकी-

1. शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यगोष्ठी-कुल 5 कार्यक्रम ।
2. अल्पव्ययी शिक्षण सामग्री निर्माण एवं निर्देशन कार्यगोष्ठी-कुल 5 कार्यक्रम ।
3. शैक्षिक प्रौद्योगिकी संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम-कुल 1 कार्यक्रम ।
4. कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षण-कुल 3 कार्यक्रम

प्रभाग -सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षैत्रीय अन्त : क्रिया एवं नवाचार समन्वय-

1. वार्षिक पत्रिका ।
2. क्रियात्मक अनुसंधान
3. त्रैमासिक समाचार पत्र जनवरी -मार्च 91 अंक,अप्रेल -जून 91 अंक जुलई-सितम्बर 91 अंक,अक्टूबर- दिसम्बर91 अंक,कुल 4 अंक ।
4. अनुसंधान
5. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का अभिनवन कार्यक्रम-कुल 8 कार्यक्रम ।
6. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अभिनवन कार्यक्रम-कुल 4 कार्यक्रम ।

प्रभाग-शिक्षाक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन-

1. प्रौढ शिक्षा अधिगम सामग्री मूल्यांकन कार्यगोष्ठी ।
2. अनौप.शिक्षा पाठयक्रम व शिक्षण सामग्री मूल्यांकन कार्यगोष्ठी ।
3. अधिगम सामग्री निर्माण कार्यगोष्ठी-कुल 2 कार्यक्रम ।
4. शिक्षाक्रम समीक्षा कार्यगोष्ठी (प्राथमिक,उच्च प्राथमिक कक्षाओं) कुल 2 कार्यक्रम ।
5. कक्षा 1,3,व 6 की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कार्य गोष्ठी ।
6. आदर्श प्रश्न-पत्र निर्माण कार्य गोष्ठी प्राथमिक कक्षाओं के लिए,उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए,कुल 2 कार्यक्रम ।

प्रभाग -योजना एंव प्रबन्ध-

---

1. सामुदायिक सहभागिता संगोष्ठी(नवयुवक मंडल( ./नेहरू युवक केन्द्र/सरपंच/ग्राम शिक्षा समिति आदि)कुल 2 कार्यक्रम ।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम-कुल कार्यक्रम 2
3. योजना एवं प्रबन्ध के क्षेत्र मं विशिष्ट योजना निर्माण एवं विद्यालयी कार्यक्रम समुन्नयन संगोष्ठी,कुल 2कार्यक्रम ।
5. शिक्षा प्रसार अधिकारी /अवर विद्यालय निरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

प्रभाग -जिला संदर्भ इकाई-

---

प्रौट शिक्षा

---

1. प्रेरकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम-
2. अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. ग्राम सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. अनुदेशक अभिनवन कार्यक्रम
5. अनुसंधान कार्य

अनौपचारिक शिक्षा

---

1. अनुदेशक/पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम,कुल 2 कार्यक्रम ।
2. पर्यवेक्षक अभिनवन कार्यक्रम ।
3. अनुदेशक अभिनवन कार्यक्रम ।

प्रशिक्षण सामग्री(ट्रेनिंग पेकेज(:-

---

राजस्थान ने न केवल सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन करने एवं उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में पहल की है अपितु इसने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए भी पहल की है ।विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री की रूपरेखा इस संस्थान ने तैयार कर ली है । इस संस्थान ने कार्यानुभव विभाग द्वारा आयोज्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सामग्री की एक मंजूषा तैयार की है । यह संस्थान इस संबंध में यह चाहता है कि राज्य में जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान भी इस प्रकार के प्रशिक्षण पैकेज के निर्माण में समक्ष बनें । एतदर्थ राज्य के सभी डाइट्स से शेष 5 विभागों के प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु आव्हान किया गयाय और इस संबंध में उत्साहजनक रिस्पोन्स क्षेत्र से प्राप्त हुए है । फलस्वरूप निम्नलिखित विवरण के अनुसार राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से उनके नाम के सामने अंकित प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण का कार्य सौंपा गया है । संस्थान इस दिशा में प्रयत्नरत है कि यह प्रशिक्षण सामग्री अक्टूबर तक तैयार कर दिसम्बर,92 तक प्रकाशित कर दी जाय ।

--------13

प्रशिक्षण पैकेज से संबंधित सूचना निम्नानुसार है-

| क्र.स | संस्थान का नाम | प्रशिक्षण पैकेज की शाखा |
|---|---|---|
| 1. | डाइट-गोवर्द्धनविलास,उदयपुर | सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षैत्रीय अन्तःक्रिया एवं नवाचार समन्वय(आई.एफ.आई.सी.) |
| 2. | डाइट-चित्तौडगढ | प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा(डी.आर.यू) |
| 3. | डाइट -जालोर | शिक्षाक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन (सी.एम.डी.ई) |
| 4. | डाइट -विद्याशाला,जोधपुर | योजना एवं प्रबन्ध(पी.एण्ड एम.) |
| 5. | डाइट-माउन्ट आबू,सिरोही | शैक्षिक प्रौद्योगिकी |
| 6. | रा.रा.शै.अ.प्र.संस्थान,उदयपुर | कार्यानुभव |

सेवा पूर्वपाठ्यक्रम में संशोधनः-

राजस्थान ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य पद्धति को समग्र रूप में देखने का प्रयास किया है । राज्य में न केवल सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि इसका एक नवीन आयाम था,को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया अपितु सेवा पूर्व पाठ्यक्रम को भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है । उसे 1989 में लागू किया गया । इस पाठयक्रम को प्रायोगिक तौर पर द्वि-वर्षीय एक चक्र पूरा करने के लिए एक ट्राई आउट किया गया है । 1991 के सत्र की समाप्ति के पश्चात् राज्य के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों से इस पाठयक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव मांगे गये हैं । क्षेत्र से प्राप्त सुझावों (फीड-बेक ) के आधार पर यह आवश्यक संशोधन करने के सम्बन्ध में इस संस्थान के विभिन्न विभागों की राय(एक्सपर्ट-ओपीनियन)प्राप्त की गई,तत्पश्चात् प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 5-5 विशेषज्ञों की समिति गठित की गई ।इस समिति के लिए सदस्य-सचिव संस्थान के ही किसी एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया । प्रत्येक प्रश्न -पत्र के लिए राज्य में उपलब्ध विशेषज्ञों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया । इनके अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्यरत अनुभवी प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं को इसका सदस्य बनाया गया । इन समितियों के द्वारा संशोधित पाठ्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई । इस संशोधित पाठयक्रम को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के डीन,शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञो,डाइट में कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को आमंत्रित करके इस प्रस्तावित पाठ्यक्रम की समीक्षा कराई गई एवं इसे अंतिम रूप प्रदान कराया गया । शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के संशोधित पाठ्यक्रम को राज्य सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है एवं अनुमोदन होने के पश्चात् सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जायगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सफल संचालन हेतु राज्य में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-

1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । इस राज्य में प्राथ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जिला स्तर पर कई कार्यालय कार्य कर रहे हैं, यथा-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र),जि.शि.अ.(छात्रा),जि.शि.अ.(प्रा.शि.),जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी,सहायक निदेशक अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यरत हैं । इन सभी संस्थानों के अधिकारियों के अपेक्षित सहयोग के बिना डाईट के कार्यक्रमों का सुचारू -संचालन संभव नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुऐ राज्य में एक समन्वय समिति का गठन किया गया,ताकि ये सभी अधिकारी समन्वित रूप से क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रम हेतु समय पर एवं निर्धारित मात्रा में संभागियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो सके ।

2. शिक्षा में गुणात्मक विकासः-

---

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अन्य शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए एक आदर्श प्रतिमान के रूप में कार्य करे इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है । अतः यह नितान्त आवश्यक है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम गुणात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के होने चाहिए । इस आकांक्षा को साकार करने के लिए राज्य ने प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर एक अकादमिक सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया है । इस समिति में जिला स्तर पर उपलब्ध श्रेष्ठ शिक्षाविदों को सम्मिलित करने हेतु भी निर्देश जारी किए गए हैं ।आशा है कि इस प्रकार से गठित अकादमिक सलाहकार समिति के निर्देशन में डाइट अच्छी कोटि के कार्यक्रम के आयोजन में सफलता प्राप्त कर सकेगी ।

3. विद्यालय संगम(स्कूल कांम्पलेक्स)को डाइट के सहयोग से गतिमान बनानाः-

---

राजस्थान में विद्यालय संगम कार्यक्रम लगातार सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है,परन्तु इसे और अधिक प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता निरन्तर अनुभव की जा रही है । इस संबंध में राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए एतदर्थ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,विद्याशाला,जोधपुर को एक विशेष प्रायोजना तैयार कर जोधपुर जिले में इस प्रायोजना की क्रियान्विति का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । वहां के अनुभव के आधार पर विद्यालय संगम कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन किया जायगा, परन्तु जोधपुर के साथ साथ अन्य जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है ।

4. प्रयोग एवं प्रायोजना

---

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को नवाचारों के क्षेत्र में अहम् भूमिका निभानी है । इस उद्देश्य से प्रत्येक संस्थान के साथ प्रयोग क्षेत्र (लेब एरिया) का निर्धारण किया गया है। इस क्षेत्रों में नवीन प्रायोजनाओं की क्रियान्विति हेतु सभी संस्थानों को निर्देश किये गये हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियांः-

---

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

---

राज्य ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यापक पैमाने पर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है । सत्र 91-92 के परिणाम बहुत ही उत्साहवर्द्धक रहे हैं, जिससे यह आशा है कि आने वाले वर्षों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बहुत ही तीव्र गति से कार्य करेंगे एवं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होंगे । राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में न केवल वार्षिक -पंचांग में प्रस्तावित कार्यक्रमों का ही आयोजन किया है अपितु विभाग द्वारा अब तक आयोजित किए जाने वाले विषय आधारित 28 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी सफल आयोजनकिया है । इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों ने अनेक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना कार्यक्रम जैसे- विज्ञान एवं गणित सुधार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षाकर्मी योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का सफल संचालन किया है ।

आगामी सत्र में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से राज्य के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनसंख्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करने की दिशा में कार्य कर रहे है । राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सत्र 1991-92 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की संख्या एवं इससे लाभान्वित होने वाले अध्यापकों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :-

| क्र.सं. | शाखा का नाम | कार्यक्रम की सं0 | सेभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | सेवारत क्षेत्रीय अन्तःक्रिया एवं समन्वय | 131 | 5084 |
| 2. | शैक्षिक प्रोद्योगिकी | 67 | 1424 |
| 3. | जिला संदर्भ ईकाई (प्रौढ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा) | 80 | 3163 |
| 4. | पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन | 51 | 1131 |
| 5. | योजना एवं प्रबन्ध | 57 | 1271 |
| 6. | कार्यानुभव /स.उक्का. | 67 | 1378 |
| 7 | अन्य | 62 | 1896 |
| | योग | 515 | 15,347 |

2. भवन निर्माण:-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण को यथाशीघ्र पूरा कराने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः दृढ संकल्प है । निर्माण कार्य शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं त्वरित गति से हो सके इसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर एक नोडल -अधिकारी नियुक्त करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी इस कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति ~~करने~~ ~~तथा~~ ~~सार्वजनिक~~ का निर्णय किया गया । इन दोनों अधिकारियों की समय समय पर बैठकें होती रहती हैं एवं कार्य प्रगति की समीक्षा की जाती है । वे इस कार्य की प्रगति शिक्षा विभाग के सम्बन्धित उच्चअधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं । राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण की प्रगति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की जा रही है । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवन को निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा गया है :-

1. प्रशासनिक ब्लॉक
2. अकादमिक ब्लॉक
3. छात्रावास
4. स्टॉफ क्वार्टर्स ।

| क्र.सं. | भवन निर्माण की स्थिति | डाइट्स की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रशासनिक ब्लाक | अकादमिक ब्लाक | हॉस्टल | स्टाफ क्वार्टर्स |
| 1. | पूर्णतया निर्मित | 17 | 17 | 17 | 10 |
| 2. | छत तक | 4 | 4 | - | - |
| 3. | नींव तक निर्मित | 2 | 2 | - | - |
| 4. | कार्य रूका हुआ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | कार्य प्रांरभिक स्थिति में | 2 | 2 | - | - |

3. उपकरण

राज्य के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उन्हें आवंटित बजट की सीमा में निर्धारित निर्धारित उपकरण सूची के अनुसार तथा प्रतयेक संस्थान की आवश्यकता के अनुसार क्रय कर लिये गये हैं।

4. पुस्तकालय एवं वाचनालय:-

राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आवश्यक पुस्तकें क्रय कर ली गई है एवं पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगवाई जा रही है ।

—x—

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7838
Date 2-11-93

NIEPA DC
D07838